

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 19/२०२०-मदन/जोन-2/2012-13 दि.ंक ३९/०६/2012

### शुभसूचना-पत्र

यह अनुमति २०२० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझन चाहिये कि इस नूनि के सन्दर्भ में जित्त नर प्रस्तावित आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति कथला कार्य के प्रतिबन्धना अधिकारों पर किसी तरह कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के गतिकरता या स्वाभित्ता के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

चौधरी श्री जीपेन्द्र नाथ सिंह पुत्र स्वः चौधरी नौनिहाल सिंह स्थल प्लॉट नं०-1106 मातृवीय नगर, इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अन्तर्गत परिसर में अतिरिक्त निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल आवासीय भवन मानचित्र के प्रस्तावित मान पर निर्माण की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धनों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. २०२० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के तत्पश्चात् ही उपभोग/अधिनियम किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकसित उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अन्तर्लियम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी; निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त सभी आवश्यक Mandatory Clearances/A.O.C को शर्त पूर्ण करने के पश्चात् निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर के वस्तुवैध उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर न गतिवत् स्वतः निरस्त सम्झा जायेगा।
4. स्थल पर 4X3 फीट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
5. स्थल पर 10 अक्ष वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हटा-गिरा रखने का वायित्व आदेशक का होगा।
6. स्थल के अधिनियम/उपभोग स्वीकृति प्रस्तावना के अनुसार ही अनुभव होगा।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति दिनांक 12.08.2012 में अंकित प्रतिबन्धनों का अक्षरशः पालन करना होगा जो मुख्यतः निम्नवत् है :-  
A. निर्माण के दौरान नगर निगम की किसी भी अवस्थागत सुविधा को नुकसान होना नहीं है तो उसका भरसक एवं निर्माण भवन समाप्त होने तक संरक्षण जायेगा।  
B. गवनों के अन्दर जल निकासी की समुचित व्यवस्था करना अनिवार्य होगा, ज कि अवस्थाना सुविधा अतिग्रस्त न होने पड़े।
8. रेन्वाटर इन्वेंटिंग का कार्य प्रस्तावना के अनुसार पूर्ण करने हुए नू-गर्ग जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
9. यदि आदेशक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना टिप्पणी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो २०२० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (3) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि गुरुण्डों का उप-विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो २०२० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 को सुरांगत आदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।




Continued

OWNERS SIGNATURE  
 ARCHITECT'S SIGNATURE

OWNER - Choudhary Nand Lal Singh  
 NO. 1106 MATIYA NAGAR, ALHABAD  
 PROPOSED RESIDENTIAL PLAN ON PLOT  
 TO ALHABAD MASTER PLAN 2021  
 THE PLAN HAS BEEN PREPARED ACCORDING







AREA STATEMENT

S.No.	Particulars	Quantity	Remarks
1.	Total Area	11000.00	1247.36
2.	Total Area	990.15	428.22
3.	Proposed area	842.97	73.11
4.	Total Area	1004.25	1004.25
5.	Total Area	1004.25	1004.25
6.	Total Area	990.15	990.15
7.	Total Area	4581.00	428.22
8.	Total Area	15796.22	449.14
9.	Total Area	0.11	0.11
10.	Total Area	0.15	0.15



RESIDENTIAL WORK & NON-RESIDENTIAL

S.No.	Type	Area
1.	Non-Residential	1004.25
2.	Residential	1004.25
3.	Non-Residential	1004.25
4.	Residential	1004.25
5.	Non-Residential	1004.25
6.	Residential	1004.25



Handwritten notes and signatures in red ink at the bottom left of the page.